न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–194/2015

जयनारायण चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

22.12.2020 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी संख्या–1 की ओर से एक आवेदन दिनांक 03.09.20 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से दिनांक 15.09.20 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादी संख्या–1 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र में वर्णित मद नं0–1 की भूमि के बंटवारे हेतु दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 उपस्थित होकर लिखित कथन दाखिल कर चुके हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या–3 व 4 उपस्थित होकर संघर्ष कर रहे हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या–2 व 3 साजिश के तहत वादग्रस्त भूमि के कीमती भाग को हस्तानान्तरित कर वादग्रस्त भूमि की प्रकृति को बदलना चाहते हैं। जबकि किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुमति के बिना हस्तानान्तरित करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या–2 व 3 वादग्रस्त भूमि हस्तानान्तरित करते हैं तो इससे वाद की बहुलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में निषेधाज्ञा आवेदन पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को वादग्रस्त भूमि हस्तानान्तरित करने से रोक लगाई जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी संख्या–3 का कहना है कि वादी संख्या–1 का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादी संख्या–1 वाद का निष्पादन न कराकर तरह–तरह का आवेदन प्रस्तुत कर वाद के निष्पादन को विलंबित कर रहा है। यह कि प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा कोई हस्तानान्तरण विलेख वादग्रस्त भूमि के संबंध में नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी संख्या–1 की ओर से दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है। प्रस्तुत आवेदन वादी संख्या–1 की ओर से प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को वादग्रस्त भूमि अंतरित करने से रोकने एवं उस पर यथा स्थिति बनाये रखने हेतु दाखिल किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या–3 का कहना है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का अंतरण विलेख वादग्रस्त भूमि के संबंध में निष्पादित नहीं किया जा रहा

न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज

विभाजन वाद संख्या–194/2015

जयनारायण चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 22.12.2020

है, न ही उनकी इस प्रकार की कोई मंशा है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि प्रतिवादी संख्या–2 व 3 वादग्रस्त भूमि का अंतरण करने पर आमादा हों। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन नहीं है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वादी के पक्ष में पारित नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। तद्नुसार वादी संख्या–1 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2020 स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे खारिज किया जाता है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे शीघ्र अपना बहस समाप्त करें ताकि प्रस्तुत वाद का निस्तारण शीघ्र हो सके। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 16.01.2021

अवर न्यायाधीश(प्रथम)